पत्रांक-बाढ़(मो0)सिंचाई-15/2020-

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

श्री संजीव हंस,

सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता

बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण,

समस्तीपुर/मुजफ्फरपुर/वीरपुर/पटना/

कटिहार/गोपालगंज/सिंचाई सृजन, डिहरी/ सिंचाई सृजन, दरभंगा ।

पटना, दिनांक-

विषय:- आगामी संभावित बाढ़ 2020 के मद्देनजर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-बाढ़(मो0)सिंचाई-15/2020-1841 दिनांक-24.04.2020 एवं पत्रांक-1842 दिनांक-24.04.2020 ।

महाशय,

आगामी बाढ़ अवधि सन्निकट है। इस क्रम में पूर्व वर्ष की भाँति इस वर्ष भी बाढ़ 2020 से निपटने के लिये निम्नांकित निदेश दिया जाता है:-

(1) बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के सभी तटबंधों का संबंधित विभागीय अभियंताओं एवं संबंधित जिला पदाधिकारियों या उनके प्रतिनिधि के सांथ संयुक्त निरीक्षण कराने के संबंध में विभागीय पत्रांक 1842 दिनांक-24.04.2020 द्वारा निर्देश दिये गये है। इस संबंध में अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक-25.05.2020 तक प्राप्त कर विभागीय समीक्षा हेतु समर्पित करेंगे । प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि बाढ़ 2020 के पूर्व सभी तटबंध आगामी बाढ़ की विभीषिकाओं का मुकाबला करने हेतु पूर्ण रूपेण सुरक्षित है ।

(2) विगत वर्षो में आयी बाढ़ के कारण जहाँ कहीं भी कटाव/ब्रीच हुआ है, उन सभी ब्रीचों/कटाव स्थलों को सील कर दिया गया है या नहीं एवं तटबंध आगामी बाढ़ के आसन्न खतरे से निपटने के लिए पूर्ण सक्षम है या नहीं, सुनिश्चित कर लिया जाय । इस संबंध में सभी मुख्य अभियन्ता एक सुस्पष्ट प्रतिवेदन दिनांक-31.05.2020 तक मुख्यालय को समर्पित करेंगे।

(3) अतिसंवेदनशील स्थानों/आक्राम्य विन्दुओं पर बाढ़ बचाव सामग्री दिनांक-10.06.2020 तक पर्याप्त मात्रा में भंडारण कर लें एवं स्थलवार भंडारित सामग्रियों की सूची विभाग को विशेष दूत से अगले तीन दिनों के अन्दर उपलब्ध करायेगें ।

(4) बाढ़ अवधि में क्षेत्रीय पदाधिकारीगण अपने-अपने क्षेत्र में उपलब्ध रहें इसे कृपया सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में पूर्व में दिये गये निर्देश का सख्ती से पालन करेंगे।

(5) बाढ़ 2020 की अवधि में सभी प्रमुख संवेदनशील स्थलों की सूचना ससमय मुख्यालय को उपलब्ध हो जाय, इसके लिए संचार व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाय। इस संबंध में विभागीय पत्रांक बाढ़(मो0)सिंचाई–15/2020–1841 दिनांक–24.04.2020 के द्वारा आवश्यक निदेश दिये गये है।

(6) पूर्व की भाँति दरभंगा शहर सुरक्षा तटबंध के लिए मुख्य अभियन्ता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, दरभंगा भी जिम्मेवार माने जायंगे। वे मुख्य अभियन्ता समस्तीपुर तथा जिले में प्रतिनियुक्त प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ शहर सुरक्षात्मक तटबंध का निरीक्षण कर लेगें। संवेदनशील स्थलों पर बाढ़ 2020 पूर्व कृत कार्रवाई पर विशेष निगरानी रखेंगे एवं मुख्यालय को बाढ़ की तैयारी के संबंध में अनुपालन प्रतिवेदन यथाशीघ्र समर्पित करेगें।

(7) बाढ़ 2020 के पूर्व कराये जा रहे सभी बाढ़ निरोधक कार्य ससमय पूरा हो जाय, यह सुनिश्चित करेगें एवं महत्वपूर्ण कार्यो को पूर्ण कराने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर उसके अनुरूप कार्य पूर्ण कराया जाय।

विश्वासभाजन
ह0/–
(संजीव हंस)
सचिव

ज्ञापांक–बाढ़(मो0)सिंचाई–15/20 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–सभी प्रमंडलीय आयुक्तों/जिलाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया पत्र में वर्णित बिन्दुओं का अनुपालन अपने स्तर से सुनिश्चित करने हेतु अपने अधीनस्थों को निर्देश देगें एवं विभागीय अभियंताओं को उचित प्रशासनिक सहयोग प्रदान करेंगें।

ह0/–
(संजीव हंस)
सचिव

पत्रांक–बाढ़(मो0)सिंचाई–15/2020– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि:–माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के निजी सहायक को सूचनार्थ समर्पित ।

ह0/–
(राजेश कुमार)
अभियन्ता प्रमुख
बाढ़ नियंत्रण एंव जल निस्सरण

पत्रांक– बाढ़(मो0)सिंचाई–25/2018–2018 पटना, दिनांक– 11-5-2020

प्रतिलिपि:–अभियंता प्रमुख (बाढ़)/अभियंता प्रमुख (सिंचाई सृजन)/ अभियंता प्रमुख (मुख्यालय) को सूचनार्थ समर्पित एवं आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

11.5.20
(राजेश कुमार)
अभियन्ता प्रमुख
बाढ़ नियंत्रण एंव जल निस्सरण

आशिष हीरा कैवजा